

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2014—फाल्गुन 5, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2014

क्र. एफ 24-9-2010-एक-10.—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन 2-3 दिसम्बर, 1984 की दरमियानी रात को यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लिमिटेड की भोपाल इकाई से हुई जहरीली गैस का रिसाव की घटना की न्यायिक जांच के लिये आयोग के गठन से संबंधित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना की कंडिका-4 के अंतिम वाक्यांश “इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 माह के भीतर” के स्थान पर” दिनांक 24-08-2014 तक” स्थापित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2014

क्र. एफ 24-9-2010-एक-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की उक्त समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 24 फरवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 24th February 2014

No. F. 24-09--2010-One-10.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Enquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952) the State Government hereby makes the following amendment in this Department's Notification of even No. Dated 25th August, 2010, regarding the constitution of the inquiry Commission in connection with the incident of leakage of toxic gas in the midnight of 2nd/3rd December, 1984 from the plant of Union Carbide (India) Ltd., Bhopal:—

AMENDMENT

In the said Notification, in last sentence of para 4, for the words “ within six months of the date of publication of this Notification“ the words” upto 24-08-2014 Shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.